

रक्षा मंत्रालय

{सिंचक्त सचिव (प्रशिक्षित) एवं मुप्रअ कार्यालय}

विषय:- संशोधित सुनिश्चित कॉर्टिअर प्रोन्यन (एमएसीपी) योजना के अन्तर्गत सशस्त्र सेना मुख्यालय/अंतर सेवा संगठनों में जिल्दसाज श्रेणी-1 संवर्ग के कार्मिक को सतत सेवा के 30 वर्ष पूर्ण कर लेने के उपरांत तृतीय वित्तीय उन्नयन।

संशोधित सुनिश्चित कॉरिअर प्रोन्नयन (एमएसीपी) योजना संबंधी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, के ज्ञापन सं० 35034/3/2008-स्थां (डी), दिनांक 19 मई 2009 सह पठित ज्ञापन दिनांक 16 नवम्बर 09 एवं 09 सितम्बर 10, में विहित नियमों एवं दिशा-निर्देशों के आलोक में सतत् सेवा के 30 वर्ष पूर्ण कर लेने के उपरांत, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से सशस्त्र सेना मुख्यालय/अंतर सेवा संगठनों में जिल्डसाज श्रेणी-1 संवर्ग के अधोलिखित कार्मिक को तीतीय (जो भी लाग् हो) वित्तीय उन्नयन प्रदान किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम जन्मतिथि	एवं पद	वर्तमान कार्यालय	सरकारी सेवा में नियुक्ति की तिथि	एसीपी/ एमएसीपी हेतु सेवा गणना की तिथि	प्रदत्त वित्तीय उन्नयन	वित्तीय उन्नयन की तिथि	पदत् वित्तीय उन्नयन का पे बैंड एवं ग्रेड वेतन
1.	श्री सुरेश चन्द (25-07-55)	जिल्दसाज श्रेणी-1	जै०सी०बी०	01/08/84	01/08/84	तृतीय	01/08/14	पे बैंड-2 ₹9,300-34,800, ग्रेड वेतन- ₹4,200

2. संशोधित सुनिश्चित कॉरिअर प्रोन्नयन (एमएसीपी) योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन कर्मचारी को विशुद्धतः वैयक्तिक रूप से दिया जाएगा और उसकी वरिष्ठता स्थिति से इसका कोई संबंध नहीं होगा। इसी प्रकार वरिष्ठ कर्मचारियों को इस आधार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय उन्नयन नहीं दिया जाएगा कि इस ग्रेड में कनिष्ठ कर्मचारी ने संशोधित सुनिश्चित कॉरिअर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत उच्चतर वेतन/ग्रेड वेतन प्राप्त कर लिया है।

3. संशोधित सुनिश्चित कॅरिअर प्रोन्यन्यन योजना के अंतर्गत पदोन्नति/वित्तीय उन्नयन देते समय अपना वेतन नियत करवाने के संबंध में किसी सरकारी कर्मचारी को मूल नियम 22(1)क(1) के अंतर्गत उसकी पदोन्नति/उन्नयन की तारीख से अथवा उसकी अगली वेतन वृद्धि की तारीख अर्थात् उस वर्ष की 01 जुलाई से उच्चतर पद/ग्रेड वेतन में वेतन नियत करवाने का विकल्प है। वेतन और वेतन वृद्धि की तारीख को व्यय विभाग के दिनांक 13/09/08 के कार्यालय ज्ञापन सं01/1/2008-आई.सी. के स्पष्टीकरण सं0 2 के अनुसार नियत किया जाएगा। इस योजना के तहत वित्तीय उन्नयन के समय पर नियमित पदोन्नति के समय प्रदान किया जाने वाला वेतन निर्धारण का लाभ भी अनुज्ञाय होगा। अतः ऐसे में वेतन, इस प्रकार हुए उन्नयन से पूर्व, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन में आहरित किए जा रहे कुल वेतन के 3 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा। तथापि, नियमित पदोन्नति, यदि एमएसीपी योजना के अंतर्गत यथा प्रदत्त समान ग्रेड वेतन में हुई है तो उस समय वेतन निर्धारण का और लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। तथापि, वास्तविक पदोन्नति, यदि किसी ऐसे पद पर हुई है जिसका ग्रेड वेतन उससे उच्चतर है, जो एमएसीपी योजना के अंतर्गत उपलब्ध होता, तो वेतन का निर्धारण नहीं किया जाएगा और केवल ग्रेड वेतन का अंतर प्रदान किया जाएगा।

4. यदि कर्मचारी को नियमित पदोन्नति प्रदान गई है परन्तु उसने वित्तीय उन्नयन का हकदार बनने से पहले मना कर दिया था तो कोई वित्तीय उन्नयन नहीं दिया जाएगा क्योंकि ऐसे कर्मचारी को अवसरों की कमी के कारण गतिहीन नहीं किया गया है तथापि, यदि वित्तीय उन्नयन की अनुमति गतिहीनता के कारण ~~मात्र~~ दी गई है और तत्पश्चात् कर्मचारी ने पदोन्नति से मना कर दिया है तो यह वित्तीय उन्नयन को वापस लेने का आधार नहीं होगा। फिर भी, वह अगले वित्तीय उन्नयन पर विचार करने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह पुनः पदोन्नति हेतु विचार किए जाने के लिए सहमत नहीं होता है और अगला वित्तीय उन्नयन इंकार के कारण विवर्जन की अवधि समाप्त होने तक भी स्थगित कर दिया जाएगा।

Larry

...କୃତ୍ୟୋତ୍ସବ

5. चूंकि श्री सुरेश चन्द, जिल्डसाज श्रेणी-1 को तृतीय वित्तीय उन्नयन दिये जाने की तिथि इस आदेश के जारी किये जाने के बाद की है, अतः संबंधित प्रशासनिक अनुभाग से यह आग्रह किया जाता है कि इन्हें तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ दिये जाने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि इनके विरुद्ध कोई भी सतर्कता/अनुशासनात्मक संबंधी ममला लम्बित/विचाराधीन नहीं हो।

6. उपरोक्त वित्तीय उन्नयन संशोधित सुनिश्चित कॉरिअर प्रोन्नयन (एमएसीपी) योजना के संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले अनुदेशों एवं दिशा-निर्देशों के अध्याधीन होंगे।

(राजेश तिवारी)

व०प्र०अ०, मु०प्र०अ०/कार्मिक-२

२१ जुलाई 2014

ज०सी०बी०, रक्षा मंत्रालय

प्रतिलिपि :-

निदेशक (मानव संसाधन) के निजी सहायक

मुप्रअ/एपीएआर-कार्मिक-२

✓
मु०प्र०अ० वेबसाइट

उप मुप्रअ (कार्मिक एवं विधि) के निजी सहायक

संबंधित कर्मचारी

सूचना पटल

स०स०म०/अ०स०स० के कर्मचारी संघ